**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 393**
**मंगलवार, 05 दिसम्बर, 2023/14 अग्रहायण, 1945 (शक) 2023 को उत्तरार्थ**

**स्वयंशक्ति सहकार योजना**

**393. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेलः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग  द्वारा शुरू की गई (एनसीडीसी)स्वयंशक्ति सहकार योजना के क्या उद्देश्य हैं;
(ख)क्या उक्त योजना के अंतर्गत पात्र समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ;
(ग) यदि हां?तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ,

**उत्तर**
**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निगम है जो कि महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण देने के लिए पात्र सहकारी साख (क्रेडिट) समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वयंशक्ति सहकार योजना कार्यान्वित कर रहा है।

स्वयं शक्ति सहकार योजना के उद्देश्य निमन्वत हैं:

- गरीबों तक किफायती और लागत प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच;
- महिला एसएचजी को सामान्य सामूहिक/सामाजिकआर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के - ;लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना
- स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना।

(ख) और (ग): जी हाँ मान्यवर, एनसीडीसी इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की कृषि सहकारी साख (क्रेडिट) समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है -

- प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ )पैक्स(
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)
- राज्य सहकारी बैंक एस)सीबी(
- एसएचजी संघीय सहकारी समितियांसहकारी संघ।/

एनसीडीसी ने योजना के अंतर्गत दिनांक 23/11/2023 तक, सहकारी समितियों को ₹2000.11 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत और ₹1300.11 करोड़ की वित्तीय सहायता संवितरित की है।

*****